

संशोधित ले-आउट प्लान (आवासीय योजना प्रयोजनार्थ) खसरा नम्बर 333 (पार्ट), 335, 356(पार्ट), 357(पार्ट), 358(पार्ट), 645/622(पार्ट) ग्राम रामनगर क्षेत्रफल 16800 वर्गमीटर (Mark - A to H)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 19/06/2024 में लिये गए निर्णयानुसार निम्नानुसार संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है -

RESIDENTIAL	I.C.	PARK/MT/ TOWER	ROAD	TOTAL
98541 वर्गफीट प्रतिशत	1861 वर्गफीट प्रतिशत	9255 वर्गफीट प्रतिशत	71111 वर्गफीट प्रतिशत	180768 वर्गफीट प्रतिशत
54.51	1.02	5.12	39.35	100

ले-आउट प्लान (आवासीय योजना प्रयोजनार्थ) खसरा नम्बर 333 (पार्ट), 335, 356(पार्ट), 357(पार्ट), 358(पार्ट), 645/622(पार्ट) ग्राम रामनगर क्षेत्रफल 16800 वर्गमीटर (Mark - A to H)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 23/05/2024 में लिये गए निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है -

RESIDENTIAL	I.C.	PARK	SW/MT	ROAD	TOTAL
104240 वर्गफीट	2320 वर्गफीट	9673 वर्गफीट	64535 वर्गफीट	180768 वर्गफीट	
57.67 प्रतिशत	1.28 प्रतिशत	05.35 प्रतिशत	35.70 प्रतिशत	100 प्रतिशत	

- योजना के आंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में भूखण्ड 42.43 व 47 से 55 कुल भूखण्ड 11 क्षेत्रफल 3505 वर्गफीट आरक्षित किये जाते हैं, जिसे नगर विकास विभाग से दर्शाया गया है। 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्ड को रहन रहने हेतु मॉडेल हाउस संपादित करवाये। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार मुक्त किये जा सकेंगे।
- आवेदित भूमि को पहुंच बूंदी रोड से पूर्व में अनुमोदित योजना की सड़क से पहुंच उपलब्ध है, जो कि मौके पर गेवल सड़क बनी हुई है। पहुंचमार्ग की रिपोर्ट अनुसार उक्त गेवल सड़क खातेदारों की आपसी सहमति से बनायी गयी है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार कोट मास्टर प्लान/नॉनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार 80 फीट निर्धारित है। अतः सड़क मार्गाधिकार से प्रभावित भूमि को निःशुल्क छोड़ा जाना होगा।
- राजस्थान पॉलिटी-2010 एमन समय-समय पर जारी संशोधनों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- योजना में न्यूनतम 5 प्रतिशत पार्क एवं पीयू रखा जावे।
- आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत राजस्थान पॉलिटी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरान्त तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
- नगर विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.3/77 नवि/3/2009 पार्ट IV जयपुर दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है।
- नगर विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 10/08/2020 के अनुसार प्रावधान रहे जाने होंगे।
- नगर विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेशों/ दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/संशोधनों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
- उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन करवाया जावे।

PROPOSED LAY OUT PLAN OF "VRB SHREE RAMDEV RESIDENCY" VILLAGE : RAMNAGAR IN KHASRA NO.:- 333 (Part), 335, 356 (Part), 357 (Part), 358 (Part), 645 (Part) 622 TEH- LADPURA DIST. KOTA (RAJ.)

OFFICE USE ONLY

APPLICANT NAME
UPNEET SING BHATIYA

SCALE:- 1"=60'

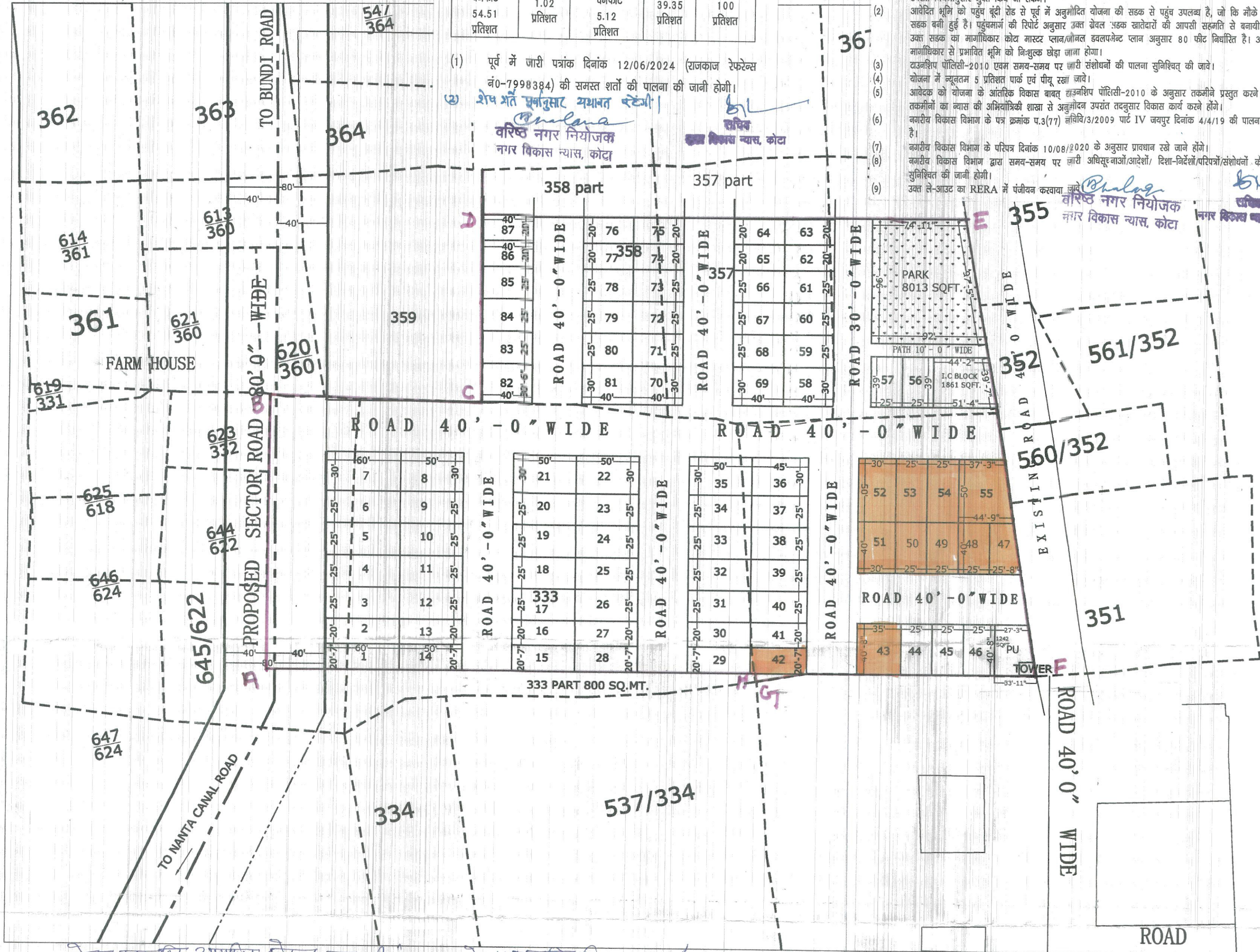
TOTAL SCHEME AREA
AREA AREA :- 1.68 SQ.MT.

S.NO.	KH.NO-	AREA (HECT.)	SCHEME AREA PART(HECT.)
1	333	0.8000	0.7200
2	335	0.3200	0.3200
3	356	0.1800	0.1400
4	357	0.2300	0.1900
5	358	0.2500	0.2100
6	645/622	0.2600	0.1000
TOTAL		2.04	1.68

TOTAL AREA:-1.68 HECT., 16800 SQ.M
1,80,768.00 SQ.FT

KHASRA BOUNDARY SHOWN THUS

SIGNATURE
ARCHITECT/CIVIL ENGG.
NAME/ ADDRESS/ L.I.C. NO.
OWNER/ PRESIDENT/ SEC.
NAME/ ADDRESS
SIGNATURE



महोदय प्रस्तावित आवासीय योजना का खींचाव A से H प्रमाणित किया गया।
03/05/24
पटवारी रामानंद राम प्रसाद
03/05/24